भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GP 836769

NOTARIAL

कोषागार फतेहपुर 23 AUG 2023

NOTARY K.M. TIWARI U.P. GOVERNMENT

<u>शपथ–पत्र</u>

हम ब्रिजेन्द्र बहादुर सिंह अध्यक्ष एवं आदित्य प्रताप सिंह सचिव स्व० प्रताप सिंह भदौरिया एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करते है–

1. यह कि हमारी ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा स्व० प्रताप सिंह भदौरिया एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश प्रताप कालेज ऑफ हायर एजूकेशन सिधाव फतेहपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी ट्रस्ट/सोसायटी के नाम एजूकेशनल ट्रस्ट, स्व० प्रताप सिंह भदौरिया एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर 212663 (उ०प्र०) में भूमि सिधाव फतेहपुर गाटा संख्या 43 रकबा 0.8400 हेक्टेयर कुल रकबा 0.8400 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह है कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्तपतेपर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 43 रकबा 0.8400 हेक्टेयर कुल रकबा 0.8400 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट/सोसायटी की बैठक दिनांक 27/12/2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवन का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्तपतेपर ट्रस्ट/सोसायटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवन का ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवन पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि , इस संस्था में फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिशद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवन में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य /विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली भांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. हम घोषणा करते है कि हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना हमारे निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटि पूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होउँगा।

आदित्य प्रताप सिंह
ह०सचिव

ह०अध्यक्ष

NOTARY
K.M. TIWARI
Advocate
Reg No 22\15\2020
Distt. Court Fatehpur
U.P. GOVERNMENT INDIA

Identified Shri ... Who Conected ... have been explained and charge fees ... Advocate Received Rs ...

प्रताप फा० आफ हायर 230

NOTARY
FATEHPUR

02-9-2023